राजस्थान विधान सभा

आठवां सत्र

कार्य-सूची

बुधवार, दिनांक 26 अप्रेल, 2017

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. शोकाभिव्यक्ति

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों द्वारा किये गये हमले में शहीद हुए सी.आर.पी.एफ. के जवानों की मृत्यु पर शोक प्रकट किया जाएगा ।

3. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(I) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा, जयपुर स्थित पृथ्वीराज नगर, सांगानेर एवं उसके समीपस्थ क्षेत्रों में सीवर लाईन डाले जाने के संबंध में स्वायत्त शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

(II) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य, विधान सभा, पाली शहर स्थित जगदम्बा कॉलोनी, नया गांव में वर्षों पूर्व से बसी बस्ती को नियमित करने के संबंध में स्वायत्त शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

4. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) अधिसूचनायें

(I) श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री, वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

वित्त विभाग

1. अधिसूचना संख्या: एफ.12(18)वित्त/कर/2008-06 दिनांक 25.4.2017 जिसके द्वारा मजारकाठ, नीमराना, जिला-अलवर में रीको द्वारा यथा विकसित, जापानी विनिधानकर्ताओं द्वारा स्थापित इकाई (इकाइयों) द्वारा विनिर्मित माल के विक्रय पर संदेय कर, प्ररूप 'ग' में घोषणा प्रस्तुत करने पर 0.25 प्रतिशत की दर से संगणित किया गया है ; एवं

2. अधिसूचना संख्या: एफ.12(18)वित्त/कर/2008-07 दिनांक 25.4.2017 जिसके द्वारा गिलोठ औद्योगिक क्षेत्र, जिला-अलवर में रीको द्वारा यथा विकसित, जापानी जोन-2 में जापानी विनिधानकर्ताओं द्वारा या कोरियाई जोन में कोरियाई विनिधानकर्ताओं द्वारा स्थापित इकाई (इकाइयों) द्वारा विनिर्मित माल के विक्रय पर संदेय कर, प्ररूप 'ग' में घोषणा प्रस्तुत करने पर 0.25 प्रतिशत की दर से संगणित किया गया है ।

जारी ..2..

(II) श्रीमती अनिता भदेल, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगी :-

<u>महिला एवं बाल विकास विभाग</u>

1. अधिसूचना संख्याः एफ.1(3)डीओपी/ए-II/2017 दिनांक 23.3.2017 जिसके द्वारा राजस्थान महिला अधिकारिता (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2017 विरचित किये गये हैं ;
2. अधिसूचना संख्याः एफ.1(3)डीओपी/ए-II/2017 दिनांक 23.3.2017 जिसके द्वारा राजस्थान सिविल सर्विसेज (स्पेशल सलेक्शन एण्ड स्पेशल कण्डीशन ऑफ सर्विस ऑफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट ऑफिसर्स एण्ड अदर्स ऑफिसर्स इन द् वुमेन्स डवलपमेंट प्रोजेक्ट) (रिपील) नियम, 2017 विरचित किये गये हैं ; एवं
3. अधिसूचना संख्याः एफ.1(3)डीओपी/ए-II/2017 दिनांक 23.3.2017 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतिस्पर्धा द्वारा सीधी भर्ती) (संशोधन) नियम, 2017 विरचित किये गये हैं ।

<u>(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन</u>

श्री अजय सिंह, सहकारिता मंत्री, राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा-54(14) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लि0, जयपुर के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 एवं 2015-2016 सदन की मेज पर रखेंगे ।

<u>5. विधायी कार्य</u>

<u>विचारार्थ लिया जाने वाले विधेयक</u>

<u>(I) राजस्थान माल और सेवा कर विधेयक, 2017</u>

(I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान माल और सेवा कर विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्या-29)	"राजस्थान राज्य द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के राज्य के भीतर प्रदाय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिये और इससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने हेतु विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(II) राजस्थान नगरपालिका (पंचम संशोधन) विधेयक, 2017

(I) श्री श्रीचन्द कृपलानी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान नगरपालिका (पंचम संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्या-32)	"राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(III) बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2017

(I) श्रीमती किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्या-31)	"राजस्थान राज्य में तकनीकी शिक्षा के विकास के लिये बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिये विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

पृथ्वी राज
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 25 अप्रेल, 2017